राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज0)

बअनवानी जसवन्त बनाम शारदा आदि

प्रकरण का प्रकार 225 आरटीए क्रमांक 34 /2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक की तारीख में जारी हुआ।
05.02.2018	पत्रावली बाद रिपोर्ट पेश हुई। अपीलांट की ओर से श्री इन्द्राज गोदारा विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पो0 सं. 1 की ओर से श्री लालचन्द विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पो0 सं. 1 ने एक वाद विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आरटीए प्रस्तुत किया जिसमे प्रतिवादी सं. 1 ता 10 प्रश्नगत वादग्रस्त भूमि को रहन, बैय करने से ममनू व बाज रहे का अनुतोष चाहा गया। बाद तलबी अपीलांट ने प्रस्तुत होकर स्थगन हेतु सहमति प्रदान की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चक 30 एसएसडब्ल्यू जमांबदी सम्वत 2063–66 खाता सं. 9/10 की 1.834 है0, चक 35 एसएसडब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2062–65 खाता सं. 44/34 कुल 3.542 है0, चक 34 एसएसडब्ल्यू सम्वत 2061–64 खाता सं. 33/73 कुल 3.542 है0 इसी चक के खाता सं. 20/83 की 0.380 है0 चक 4 एआरडब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2064–67 खाता सं. 53 की 4.301 है0, 13 एसटीजी जमाबंदी सम्वत 2064–67 खाता सं. 92/92 की 1.392 है0 व इसी चक के खाता सं. 39/91 की 1. 999 है0 खाता सं. 18/17 की 2.656 है0कुल 21.607 है0 मे प्रार्थीया के हिस्सा की 3.601 है0 को आगामी तारीख पेशी तक दिनांक 05.02.2017 को स्थगन आदेश जारी किया गया जो राजस्व लोक अदालत अभियान कैम्प 30 एसएसडब्ल्यू मे दिनांक 05.06.2017 को बिना किसी पक्षकार की सुनवाई कर ताफैसला दावा कन्फर्म किया गया। विचारण न्यायालय मे अपीलांट ने उपस्थित होकर रेस्पो0 सं. 1 के प्रार्थना पत्र पर सहमति प्रदान करने के बाद दिनांक 05.02.09 को स्थगन आदेश पारित करवाया था उक्त आदेश मे वाके चक 30 एसएसडब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2063–66 खाता सं. 9/10 की 1.708 है0 भूमि ही शामिल थी जिस पर स्थगन जारी किया गया था परन्तु सहबन से वाके चक 30 एसएसडब्ल्यू के खाता सं. 9/10 मे 1.708 है0 की जगह 1.834 है0 भूमि दर्ज हो गई। जिसके कारण अपील प्रस्तुत की गई है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ने अपील मे वर्णित तथ्यो को स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने मे अपनी सहमति प्रकट करते हुए चक 30 एसएसडब्ल्यू के खाता सं. 9/10 मे 1.834 है0 की जगह 1.708 है0 दर्ज किये जाने का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आरटीए चक 30 एसएसडब्ल्यू जमांबदी सम्वत 2063–66 खाता सं. 9/10 की 1.834 है0, चक 35 एसएसडब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2062–65 खाता सं. 44/34 कुल 3.542 है0, चक 34 एसएसडब्ल्यू सम्वत 2061–64 खाता सं. 33/73 कुल 3.542 है0 इसी चक के खाता सं. 20/83 की 0.380 है0 चक 4 एआरडब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2064–67 खाता सं. 53 की 4.301 है0, 13 एसटीजी जमाबंदी सम्वत 2064–67 खाता सं. 92/92 की 1.392 है0 व इसी चक के खाता सं. 39/91 की 1.999 है0 खाता सं. 18/17 की 2.656 है0 कुल 21.607 है0 मे प्रार्थीया के हिस्सा की 3.601 है0 को आगामी तारीख पेशी तक स्थगन जारी किया गया जिसे राजस्व अभियान के दौरान ताफैसला दावा कन्फर्म किया गया। जबकि चक 30 एसएसडब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2063–66 खाता सं. 9/10 की 1.708 है0 की रकबा जमाबंदी मे दर्ज है परन्तु त्रुटिवंश चक 30 एसएसडब्ल्यू जमांबदी सम्वत 2063–66 खाता सं. 9/10 की 1.708 है0 की जगह 1.834 है0 भूमि दर्ज कर दी गई। जिसके दुरूस्त करवाने बाबत उक्त अपील प्रस्तुत की गई। रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने मे अपनी सहमति प्रकट की है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.06.2017 के कन्फर्म आदेश दिनांक 05.07.2009 को पारित स्थगन आदेश मे संशोधन करते हुए वाके चक 30 एसएसडब्ल्यू जमांबदी सम्वत 2063–66 खाता सं. 9/10 की 1.834 है0 भूमि के स्थान पर 1.708 है0 भूमि अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2009 एवं कन्फर्म आदेश दिनांक 05.06.2017 यथावत रहेगा। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05.02.2018 को सुनाया गया। 5/2/18 राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज0)	